न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0–122 / 2015

सी0आई0एस0 – 322 / 2015

विक्रमा पाण्डेय ....वादी।

बनाम्

राजकुमार साह वगै0..............................प्रतिवादीगण।

आदेश

03.03.2025 वादी की पैरवी है। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 24.07.2024 को दाखिल आवेदन को प्रचालित करते हुए यह कथन करते हैं कि इस वाद के प्रतिवादी बृज बिहारी पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 21.06.2024 को हो चुकी है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि मृत प्रतिवादी बृज बिहारी पाण्डेय का नाम कलमजद करते हुए उनके कानूनी वारीसान लालमुनि देवी उर्फ माया देवी, कमला पाण्डेय, फुलकुमारी देवी, मीरा देवी, इन्दु देवी, रवि पाण्डेय, चन्दन पाण्डेय, चितरंजन पाण्डेय उर्फ बबली पाण्डेय को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादीगण के तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन पर आनापत्ति अंकित करते हैं।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादी के तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन पर आनापत्ति अंकित किये हैं। प्रतिस्थापन आवेदन समय सीमा के अंदर दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित वादी के तरफ से दिनांक 24.07.2024 को दाखिल आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मृत प्रतिवादी बृज बिहारी पाण्डेय का नाम इस वाद से कलमजद करते हुए उनके कानूनी वारीसान लालमुनि देवी उर्फ माया देवी, कमला पाण्डेय, फुलकुमारी देवी, मीरा देवी, इन्दु देवी, रवि पाण्डेय, चन्दन पाण्डेय, चितरंजन पाण्डेय उर्फ बबली पाण्डेय को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करें। वादी नये प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतू आवश्यक अपेक्षिकाएं दाखिल करें। तत्पश्चात कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–14.05.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)